कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं / दिनांक

बैठक सूचना

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम भाग–II 4,5 एवं 6 के अन्तर्गत अनुसूचति क्षेत्र हेतु पृथक केडर का गठन किया जाना है। उक्त नियम 6 (3) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के केडर में रहने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों से प्राप्त विकल्प पत्रों की स्क्रीनिगं कर उचित निर्णय लेने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8392–420 दिनांक 07.08.2015 से कमेटी गठित की गई थी (प्रति संलग्न)।

उक्त कमेटी की बैठक दिनांक 03.09.2015 को प्रातः 11.00 बजे निर्धारित की गई है। उक्त बैठक में अधीनस्थ कर्मचारियों से प्राप्त विकल्प पत्रों का परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जाना है। अतः उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारियों को **विशिष्ठ अतिथि** के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर

उपरोक्त अधिकारियों से निवेदन है कि वह इस बैठक में उपस्थित होकर अपने क्षेत्र के अधीन विकल्प पत्रों को गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें।

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014 / कार्मिका / प्रमुवसं / 9742-56 दिनांक 28-8-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.) राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर।
3. नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक उदयपुर / जोधपुर / वन्यजीव, उदयपुर / वन्यजीव, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे बैठक में समस्त विकल्प–पत्र एवं सूचना के साथ उपस्थित हों।
4. मुख्य वन संरक्षक बीकानेर / अजमेर / कोटा / जयपुर / भरतपुर / वन्यजीव भरतपुर / वन्यजीव कोटा / वन्यजीव जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे दिनांक **2.9.2015** को अपने क्षेत्राधीन प्राप्त होने वाले समस्त **विकल्प–पत्र एवं शपथ–पत्र** (प्रारूप संलग्न) **प्रस्तुत करें**। दिनांक 2.9.2015 को विकल्प–पत्र / शपथ पत्र नहीं उपलब्ध कराने पर उक्त अधिकारी दिनांक 3.9.2015 को बैठक में उपस्थित रहें।
5. रक्षित पत्रावली।

Shikha
(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

शपथ पत्र का प्रारुप

इस कार्यालय के अधीन समस्त कर्मचारियों को राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 से व्यापक प्रचार–प्रसार द्वारा अवगत कराया गया है। इंस नियम के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु ----- विकल्प–पत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु ----- विकल्प पत्र प्राप्त हुए हैं, जो संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ------ वृत के अन्तर्गत आने वाले वन मण्डलों में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा कोई विकल्प–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, हांलाकि उन्हें इस विषय में सूचित किया जा चुका है। अतः वह अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन कराने के इच्छुक नहीं हैं।

दिनांक

( )

पदनाम मुख्य वन संरक्षक ....

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

316

क्रमांक एफ 15 (1) 2014 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं / 8392 दिनांक 7/8/15

कार्यालय आदेश

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम भाग–II 4,5 एवं 6 के अन्तर्गत अनुसूचति क्षेत्र हेतु पृथक केडर का गठन किया जाना है। उक्त नियम 6 (3) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के केडर में रहने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों से केडर बदलने / यथावत रखने के संबंध में प्राप्त विकल्प पत्रों की स्क्रीनिगं कर उचित निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन एतदद्वारा किया जाता है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर। — अध्यक्ष
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर। — सदस्य
3. मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रमुवसं राजस्थान जयपुर। — सदस्य सचिव

7/8/15
(डॉ0 सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014 / कार्मिका / प्रमुवसं / 8393-420 दिनांक 7/8/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ....।
5. मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर (नोडल अधिकारी)
7. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
8. समस्त उप वन संरक्षकगण
9. रक्षित पत्रावली।

Shikha 7/8/15
(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर